कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम–1971 के नियम–17 के राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांकः प.9(5)(30)कार्मिक/क–3/जाँच/2004 दिनांक 18.11.2006 के क्रम के अनुसरण श्री नरेन्द्र सिंह रतनू , व्याख्याता भूगोल राउमावि. कलाली, रोहट, पाली को प्रधानाचार्य राउमावि. कलाली, रोहट, पाली की अभिशंषा एवं आवेदन पत्र के आधार पर सर प्रताप महाविद्यालय, जोधपुर से त्रिवर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष 2020–21 में सम्मिलित होने की अनुज्ञा निम्नांकित शर्तो के आधार पर प्रदान की जाती हैः–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. कार्मिक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. कार्मिक को इस वर्ष अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है, परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा, केवल अर्जित अवकाश ही देय होगें। अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
7. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
8. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक– शिविरा–मा/संस्था/सी–5/विभिन्न विषय/परीक्षा अनुज्ञा/2019–20 दिनांक : 24/02/2021

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा................।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी................।
3. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
4. संबंधित संस्था प्रधान......................।
5. संबंधित कार्मिक...............................।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर